## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 21/2012**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1 आम्बाराम पुत्र हमीराराम जाति रेबारी निवासी खासरबी तहसील सांचोर | | 1 वैरसीराम पुत्र हमीराराम जाति रेबारी निवासी खासरवी<br>2 कालुराम पुत्र छोगाराम जाति सुथार निवासी डडूसन तहसील सांचोर<br>3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर जिला जालोर |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अभिनव सुथार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 29.6.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम केसूरी के खसरा नम्बर 318 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 4.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 4.94 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट का तथा शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का है। अपीलाण्ट अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अपीलाण्ट का निवास भी इसी भूमि में है। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पूंजी से क्रय की गई है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 परिवार में कर्ता खानदान होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के कारण उसके नाम से क्रय की गई है, किन्तु संयुक्त हिन्दू परिवार की पूंजी से क्रय किये जाने के कारण उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। मात्र राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अकेले का नाम दर्ज होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि में से 1/2 हक हिस्से को बेचान करने का ही अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसमें भी अपीलाण्ट का 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होना बताया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया तथा बिना कोई निष्कर्ष अंकित किए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रमाणित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त बेचान के आधार पर अपीलाण्ट के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर रहे है तथा अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमादा है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को नहीं रोका गया, तो वे अपीलाण्ट को उसकी भूमि से बेदखल कर देंगे तथा वाद बाहुल्यता होगी। अतः जैर अपील आदेश को अपास्त करावें एवं दौराने वाद मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड से साबित होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है, जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख है। उक्त दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बोनाफाईड पर्चेज़र होकर काबिज आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा कयासी आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की पूंजी से क्रय होना बताते हुए अपनी पुश्तैनी होना बताया है। वहीं दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी होना बताते हुए स्वयं की क्रयसुदा आराजी होना बताया एवं मौके पर स्वयं का कब्जा होना जाहिर किया। आर0एल0डब्ल्यू0 2009 (2) पेज 872 में यह प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा – पंजीकृत खातेदार के विरूद्ध और अतिचारी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना या अन्य कोई अनुतोष प्रदान करना, अभिनिर्धारित –पंजीकृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदार के विरूद्ध और अतिचारी के पक्ष में कोई भी अनुतोष या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। कब्जे के बिन्दु पर पक्षकारों द्वारा पेश किये जाने वाले साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में निर्णय हो सकेगा।'' उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। कब्जे के तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों से विनिश्चित होगा तथा अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद में प्रतिकूल कब्जा भी खातेदारी घोषणा का आधार बताया है। अपीलाण्ट ने अपील में यह स्वीकार किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में बेचान किया है। इस विशेष परिस्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष अंकित किया है, वह उचित है, क्योंकि जहां तक कब्जे का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है, जो मूल वाद में तय होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर